कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/वो–1/2025–26/ 27403 दिनांक :यथा हस्ताक्षर

संशोधित दिशा निर्देश

राज्य मे संचालित गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 में नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/माध्यम, नाम, भवन/स्थान, वर्ग परिवर्तन/अति.विषय, अति.संकाय, अति माध्यम/प्रबन्ध अन्तरण/मान्यता समर्पण/नाम परिवर्तन/मान्यता/एनओसी हेतु विज्ञप्ति के क्रम में जारी समसंख्य पत्र दिनांक 14.02.2025 Ref. No. 13597742 एवं विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 16.02.2025 राजकाज Ref. No. 13629783 में **पूर्व शैक्षिक सत्र 2024–25 की भांति रखते हुए निम्नाकिंत संशोधन किए जाते हैं –**

क्र.स.	विज्ञप्ति के संबंध मे विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 16.02.2025	शैक्षिक सत्र 2024–25 की भांति संशोधन
1.	ध्यातव्य बिन्दु संख्या 01 एवं परिशिष्ट 01 के कक्षा कक्ष के संबंध में मापदण्ड माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु 02 कक्षा कक्ष कम किये जाकर न्यूनतम 12 तथा 14 कक्षा कक्ष निर्धारित किए गए थे	पूर्व में जारी दिशा–निर्देश 2024–25 के अनुसार यथावत रखते हुए माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए क्रमशः न्यूनतम 14 व 16 कक्षा–कक्ष किए जाते है।
2	ध्यातव्य बिन्दु संख्या 02 विशेष विद्यालयों के संबंध मे कक्षा कक्ष एवं शिक्षक का निर्धारण	पूर्णतया विलोपित
3	ध्यातव्य बिन्दु संख्या 03 कम्पनी एक्ट 2013 के सेक्शन 08 के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं को विद्यालय संचालन हेतु पात्र माने जाने के संबंध मे	पूर्णतया विलोपित
4	ध्यातव्य बिन्दु संख्या 06 विशेष परिस्थिति में स्थान परिवर्तन की छूट के संबंध में	पूर्णतया विलोपित
5	ध्यातव्य बिन्दु संख्या 08 एवं एनओसी प्रमाण पत्र दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 16 (पृष्ठ संख्या 35) अनापति प्रमाण की अवधि को एक वर्ष से बढाकर 02 वर्ष किया जाना	अनापति प्रमाण पत्र की अवधि पूर्व में जारी मान्यता दिशा–निर्देश 2024–25 की भांति 01 शैक्षिक सत्र हेतु की जाती है।

संलग्न–

1. विज्ञप्ति टाईम–फ्रेम 2025–26
2. शैक्षिक सत्र 2024–25 में निर्धारित दिशा–निर्देश/मापदण्ड

उप निदेशक (पीएसपी)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3- राज्य समन्वयक, प्राईवेट स्कूल पोर्टल सेन्ट्रल सैल, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकूल, जयपुर
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6. विशिष्ट सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, एनआईसी शिक्षा संकुल, जयपुर
9. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक
11- रक्षित पत्रावली।

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:21:57 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 14020734